न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वाद संख्या–102/2011

धारा–6A E.C Act अन्तर्गत

राज्य (देवानन्द सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के नगर)

बनाम्

1)रमेश पोद्दार, पिता–ब्रहमदेव पोद्दार, साकिन–सतकोदरिया, थाना–के0 नगर (मरंगा), जिला–पूर्णियाँ।
2. ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर नं0 – BR-11J/3734 एवं टेलर..... ..... विपक्षी

आदेश

यह वाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के0 नगर के प्राथमिकी रिर्पोट के आधार पर के0 हाट (मरंगा) थाना काण्ड संख्या –**183/2011** के आधार पर विपक्षीगण के विरूद्व प्रारम्भ की गयी है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के0 नगर गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक **18.5.11** को हरदा बाजार, काली स्थान के निकट ट्रैक्टर नं0 BR-11J/3734 टेलर नंबर अंकित नहीं पर **79** बोरा गेहुँ एवं **81** बोरा चावल कालाबाजारी करने के उद्देश्य सेले जाते समय जप्त कर के0 हाट (मरंगा) थाना में जमा कर प्राथमिकी दजे करवायें। ट्रैक्टर चालक से लदे हुए चावल, गेहुँ का कागजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया और चालक ने गेहूँ, चावल तथा ट्रैक्टर मालिक का नाम रमेश पोद्दार, विपक्षी सं0–1 बतलाया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम **1955** की धारा–**6A** अन्तर्गत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है।

विपक्षी संख्या–1 का कथन है कि यह वाद कानून की दृष्टि से निर्वहन योग्य नहीं है। नोटिश अस्पष्ट है। विपक्षी संख्या–1 ट्रैक्टर नं0– BR-11J/3734, टेलर नं0– BR-11F/2797, का मालिक है और उक्त ट्रैक्टर, व्यवसायिक प्रयोजन के लिये है, जिसका कर का भुगतान भी कर रहा है। उक्त ट्रैक्टर को गोरी शंकर गोस्वामी पिता–अनन्दी गोस्वामी दिनांक **18.5.11** को **1,500/–(एक हजार पाँच सौ)** रूपये भाडा की वात तय कर गुलाबबाग से सतकोदरिया सामान लाने गया। गेहूँ, चावल ट्रैक्टर पर लादकर गौरी शंकर गोस्वामी मोटरसाईकिल से आ रहा था और कागजात डाईवर को नही देकर अपने पास रखा था। ट्रैक्टर जब हरदा काली स्थान के पास पहुँचा, तब भूतपूर्व मुखिया रणविजय सिंह अपने आदमी के साथ मिलकर ट्रैक्टर रोकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, को खबर किया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, के पहुँचने के बाद रणविजय सिंह स्वंय आवेदन लिखा, जिसपर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, हस्ताक्षर किये। विपक्षी का कथन है कि चुनाव में वह भी भूतपूर्व मुखिया के विरूद्व

खडा हुआ था, जिसके कारण भूतपूर्व मुखिया ने विपक्षी को अपमानित किया था और इस संबंध में विपक्षी का भाई भूतपूर्व मुखिया के विरूद्व मंरगा थाना में प्राथमिकी संख्या–**103/2011** दर्ज करवाया था। विपक्षी का जप्त चावल, गेहुँ से कोई संबंध नही है और वह ट्रैक्टर–टेलर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, के न्यायालय के आदेश से मुक्त करवा चुका है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि इस वाद को समाप्त कर विपक्षी को मुक्त करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक **10.10.2011** को सूनवाई की गयी। पुनः दिनांक **25.11.2011** को सुनवाई हेतु रखा गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि पूर्व मुखिया रणविजय सिंह के द्वारा साजिस के तहत विपक्षी को फंसाया गया। विपक्षी का कहना है कि वाहन उनका है, परन्तु जप्त किये गये खाद्यान्न से उन्हें कोई मतलब नहीं है उनके द्वारा यह भी बताया गया कि व्यवहार न्यायालय से उनके वाहन को पहले से ही मुक्त कर दिया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि विपक्षी की कथन से सहमत हो सकते है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनो पक्ष को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि विपक्षी के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित नही होता है। जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहित किया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णियाँ को आदेश दिया जाता है कि अधिग्रहित खाद्यान्न को पणन पदाधिकारी, के माध्यम से बिक्री करवाकर विक्री राशि चलान द्वारा कोषागार में जमा कर चलान की प्रति उपलब्ध करायेगे एव विपक्षी के विरूद्व लगाये गये आरोप से विपक्षी को मुक्त किया जाता है। इसके साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णियाँ।